


न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उनवान..... कुंली बाई बनाम..... सतोष बाई
 किस्म मुकदमा (223) 231-5 अपील संख्या..... 2225/239
 अभिभाषक अपीलाट डॉ. विजय कुमार शर्मा अभिभाषक रैस्पोंडेंट.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.5.26	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक अपीलाट एवं अपीलाट को रुक-रुक-रुक तीन-तीन बार आवेजे लगवाये गये, फिर भी उनको कोर से कोर्ट में उपस्थित नही हुआ। हमने पत्रावली का अपलोड किया। अभिभाषक अपीलाट डा. वि. के. शर्मा को नोटिस सम्मन जरूरी यदि स. 8. आदेश लड़ पेश नही छेजे जैसे है। इस हेतु पदलि अर्द्ध भी देवे जा-खुदे है। अतः पत्रावली अर्द्ध हाजरी एवं अर्द्ध फेरने में (जारीज में जाने है) पत्रावली डैकल सुभा रोजर बाद तामोल लड़ने दादिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">(दीप्ति सम्वन्ध मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा</p>	



**न्यायालय-भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
प्राधिकारी, कोटा- केम्प झालावाड**

अपील सं. / 2025

कुंतीबाई पत्नी लालचन्द जाति दांगी निवासी हनोतिया धरोनिया तहसील
रायपुर जिला झालावाड राज0अपीलान्ट

बनाम

1. सन्तोषबाई पत्नी प्रहलाद जाति भील निवासी बानोर तहसील रायपुर जिला
झालावाड राज0
2. ग्यारसीराम पुत्र गुलजीराम मृतक -जर्गे कायम मुकामान (विधिक प्रतिनिधि)
2/1 - रामबाबू पुत्र ग्यारसीराम
2/2 - ममताबाई पुत्री ग्यारसीराम
2/3 - प्रेमलता पुत्री ग्यारसीराम
2/4 - ललताबाई पुत्री ग्यारसीराम
जातियान दांगी निवासीगण हनोतिया धरोनिया तहसील रायपुर जिला
झालावाड राज0
3. राजस्थान राज्य जर्गे तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड
..... रेस्पोजेन्टस

प्रथम अपील बनाराजगी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26/09/2025

प्रकरण बउनवान सन्तोषबाई बनाम मृतका ग्यारसीराम प्रकरण नं.

77/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा वाद अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0

टी0 एक्ट जिसमें निर्णय सुनाया गया है।

मान्यवर,

निवेदन है कि रेस्पोजेन्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा वाद अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट में गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26/09/2025 को अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट निम्न कारणों से अपील पेश करता है -

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली के सार सग्रहों के विपरीत एक तरफा निर्णय पारित कर दिया है जो अपास्त होने योग्य है।
2. यह कि ग्राम हनोतिया धरोनिया पटवार हल्का धारुखेडी तहसील रायपुर के खाता संख्या नया 35 पुराना 124 के खसरा नम्बर 488 कृषि भूमि का 2/5 हिस्सा रेस्पोजेन्ट सन्तोष द्वारा पूर्व में खसरा नं. 809/489 व खसरा नं. 489 के हिस्से में से खरीद किया गया था। उसी समय से परम्परागत

सन्तोष

